

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा (म.प्र.)

कार्य वितरण संशोधित आदेश

(प्रथम संशोधन)

क्रमांक 52/एक-21-1/1998

खण्डवा, दिनांक : 07/07/2025

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेश क्रमांक-962/गोपनीय/2025/दो-3-1/2025 जबलपुर, दिनांक 15.05.2025 अनुसार श्री शुभम द्विवेदी, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा का स्थानांतरण होने एवं न्यायालय रिक्त होने के कारण कार्य वितरण आदेश क्रमांक-37/एक-21-1/1998 दिनांक 30.04.2025 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा :-

1. पृष्ठ क्रमांक-1 पर सरल क्रमांक-1 (अ) के समक्ष प्रकरणों के प्रकार के कॉलम क्रमांक 4 की कंडिका-6 विलोपित की जाकर उक्त कंडिका को पृष्ठ क्रमांक-2 पर सरल क्रमांक-1 (ब) के समक्ष प्रकरणों के प्रकार के कॉलम क्रमांक 4 की कंडिका-8 के पश्चात 8 (अ) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :-

8 (अ) “खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 के अंतर्गत अपीलें।”

2. पृष्ठ क्रमांक-11 पर सरल क्रमांक-24 के समक्ष कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 विलोपित की जाकर प्रकरणों के प्रकार के कॉलम क्रमांक 4 में “रिक्त न्यायालय” अंकित किया जाता है।
3. पृष्ठ क्रमांक-11 पर सरल क्रमांक-25 के समक्ष प्रकरणों के प्रकार के कॉलम क्रमांक 4 की कंडिका-2 विलोपित की जाकर उसके स्थान पर नवीन कंडिका 2 निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है।

4
2. तहसील खंडवा एवं पंधाना से उत्पन्न ₹ 5,00,000 (पांच लाख) तक मूल्यांकन के दीवानी मामले, जो “जुलाई से अक्टूबर” माह में पेश किये जावें।

4. पृष्ठ क्रमांक-13 पर सरल क्रमांक-21 समक्ष कॉलम 3, 4 एवं 5 विलोपित किये जाते हैं।
5. पृष्ठ क्रमांक-13 एवं 14 पर सरल क्रमांक-18, एवं 22 के समक्ष जिन कॉलमों में “षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा” लेख किया गया है, उसे विलोपित करते हुए उसके स्थान पर “नवम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा”, सरल क्रमांक-20, के समक्ष कॉलम क्रमांक 4 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर “सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा” एवं सरल क्रमांक-23 के समक्ष कॉलम क्रमांक 4 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर “द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा” प्रतिस्थापित किया जाता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
पूर्व निमाड़ खंडवा म.प्र.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खंडवा (म.प्र.)

खंडवा, दिनांक 01/07/2025

पृष्ठांकन क्रमांक 14627 एक-21-1/98

आदेशानुसार - प्रतिलिपि

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति अत्याचार निवारण खंडवा
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, खंडवा/हरसूद
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/अष्टम व्यव. न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, खंडवा
4. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, हरसूद/पुनासा/शृंखला न्यायालय, मांधाता (औंकारेश्वर)
5. द्वितीय/चतुर्थ/पंचम/सप्तम/नवम, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, खंडवा/हरसूद
6. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खंडवा
7. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, खंडवा/हरसूद/पुनासा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
8. प्रभारी अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, खंडवा की ओर पंजीयन लिपिक को संसूचित करने एवं जिला न्यायालय की वेबसाईड पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।


जिला रजिस्ट्रार,
सिविल कोर्ट खंडवा (म.प्र.)